गेल (इंडिया) लिमिटेड

निगमित सीएसआर विभाग

नई दिल्ली

विषय : श्री हरेन्द्र सिंह नागर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना का अनुरोध-सूचना प्रस्तुत करना

संदर्भ:

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गेल, नई दिल्ली से अं.का.ज्ञा. सं. गेल/एनडी/आरटीआई /हरेन्द्र सिंह नागर/2875/13, दिनांक 10.10.2013, जिसके साथ श्री हरेन्द्र सिंह नागर, निवासी ग्राम अक्लिपुर जागीर, तहसील दादरी (गौतमबुद्धनगर), उत्तर प्रदेश की आरटी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आरटीआई शंका प्रेषित ।

निर्धारित प्रपत्र में मांगी गई जानकारी नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर	टिप्पणी
1	ग्राम अक्लिपुर जागीर, तह0 दादरी (गौतमबुद्धनगर) में स्टेडियम निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के संदर्भ में उप ज़िलाधिकारी दादरी (गौतमबुद्धनगर) के पत्रांक सं0 740/एसटी - डीएम/ 2012 दि0 05.05.2012 तथा पत्र सं0 257/ प्रा0वि0द0/स्टेडियम/2012-13 दिनांक 19.12.2012 जो क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गेल (इंडिया) लिमिटेड व महाप्रबंधक (सीएसआर) , गेल (इंडिया) लिमिटेड, जनरल मैनेजर (पीई) को प्रेषित है पर क्या कार्रवाई हुई अवगत कराये तथा प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।	इस संबंध में उप महाप्रबंधक (मा.सं.-परियोजना),नोएडा से दिनांक 27.11.2012, 12.12.2012 तथा 18.12.2012 के ई-मेल द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था । परंतु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । आरटीआई विभाग नोएडा परियोजना विभाग से स्थिति की रिपोर्ट मांगे । (फ्लैग ख देखें)	
2	बिंदु सं0 1 के संबंध में (स्टेडियम निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु) मा0 सांसद (लोक सभा) श्री सुरेंद्र सिंह नागर के पत्रांक संख्या एमपी /नोएडा/2013/201 दि0 15.07.2013 जो मा0 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गेल (इंडिया) लिमिटेड को संबोधित पत्र पर मै0 गेल द्वारा क्या कार्रवाई की गई अवगत कराई जाये तथा प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।	निगमित सीएसआर विभाग द्वारा उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि उक्त पत्र सं. एमपी/नोएडा/2013/201, दिनांक 15.07.2013 विभाग में उपलब्ध नहीं है ।	

...... 2/-

क्रम सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर	टिप्पणी
3	मे0 गेल (इंडिया) लिमिटेड का सीएसआर बजट वर्ष 2012-13 व 2013-14 कितना किस - 2 मद में अनुबोधित किया गया तथा इसके सापेक्ष कितना खर्चा कहाँ - कहाँ हुआ इसका विवरण दिया जाये। पिछले 03 वर्षो में ग्रामों में खेल कूद के विकास हेतु क्रीड़ा स्थलों / मैदानों के निर्माण में व चिकित्सालय भवनों पर कहाँ कहाँ कितनी-2 धनराशि खर्च की गई है एवं भविष्य में कहाँ कहाँ, क्या क्या किये जाने का प्रस्ताव है, की प्रमाणित प्रति उप्लब्ध कराई जाये।	सीएसआर विभाग में उपलब्ध रिकार्ड / सूचना के अनुसार निर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में आबंटन और व्यय का विवरण अनुलग्नक-I पर संलग्न है । सीएसआर निधि में से स्पोर्ट्स सुविधाओं और अस्पताल निर्माण हेतु अंशदान संबंधी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के अंतर्गत नहीं दी जा सकती जिसमें कहा गया है कि, "सामान्यत: कोई भी सूचना उसी रूप में तब तक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें वह मांगी जाती है जब तक वह सरकार प्राधिकरण के स्रोतों को अननुपातिक ढंग से विचलित न करे अथवा सुरक्षा या मांगे गए रिकार्ड के संरक्षण के लिए अहितकर न हो" अत: सूचना देना संभव नहीं है ।	

अनुलग्नक I

महत्वपूर्ण क्षेत्रवार आवंटन एवं व्यय* (करोड़ रू.में)

क्रम सं.	बजट शीर्ष	2012-13		2013 – 14	
		ए	ई	ए ^	ई
1	सामुदायिक विकास	22.88^^	17.90^^	24.04	1.20
2	पेय जल /स्वच्छता	4.63	1.96	1.91	.27
3	शिक्षा / साक्षरता वर्धन	11.33#	9.75#	9.59	3.37
4	पर्यावरण संरक्षण / बागवानी	0.60	0.20	1.09	.04
5	स्वास्थ्य देखभाल / चिकित्सा सुविधा	9.72	4.70	10.40	.43
6	इंफ्रास्ट्रक्चर	8.84	6.63	11.34	.24
7	कौशल विकास / सशक्तिकरण	24.68	16.30	17.16	2.83
8	प्राकृतिक आपदाओं या विपदाओं(2012-13)/ आपातकालीन आवश्यकताओं (2013-14) से राहत हेतु आवंटन	7.31	0.00	4.02	2.00
9	आवश्यकता निर्धारण , प्रभाव आकलन आदि हेतु आवंटन	2.19	0.77	2.41	0.00
	कुल योग	**92.18**	**58.21**	**81.96**	**10.38**

A= आवंटन

E = व्यय

* 30.09.2013 को

^ तिथि को आवंटन.

^^पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कल्याण योजनाओं हेतु अंशदान शामिल है

गेल के धर्मार्थ और शिक्षा न्यास हेतु अंशदान शामिल है